न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00090 (244/2016) 225 आरटीएक्ट

1. अमरजीतसिंह
2. यादवेन्द्र सिंह } निवासी हरीसिंह जाति जटसिख निवासीयान चक बनवाला
3. चमकौर सिह } तहसील व जिला हनुमानगढ
4. तेजा सिंह पुत्र दरबारासिह
5. सुखपाल सिह पुत्र मुखत्यारसिंह } जाति जटसिख निवासी चक बनवाला
6. सुजान कौर पत्नी मुखत्यार सिंह } तहसील व जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ –रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.1999 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्रकरण संख्या 96/1999 बअनवानी चमकौर बनाम सरकार

उपस्थितः–
श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:–29.04.2019

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपीलाण्ट संख्या 3 ने चक 26 एलएलडब्ल्यू प. नं. 63/228 के किला नं. 21 ता 25 व प. नं. 64/228 के किला नं. 21 ता 25 में से रास्ता निरस्त करने का अनुतोष चाहा, जो स्वीकार किया गया है एवं रकबा को रकबाराज घोषित किये जाने का आदेश पारित किया, जिससे व्यथित हेकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपपक्ष अभिभाषक गण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता मौके पर कभी चालू नहीं रहा। किसी भी काश्तकार को प्रश्नगत रास्ता की आवश्यकता नही है। काश्तकारान को दो अन्य रास्ता व पक्की सडक आवागमन हेतु उपलब्ध है इसलिए विचारण न्यायालय ने यह रास्ता खारिज तो सही रूप से किया है परन्तु इस रास्ता को घोषित करने का गलत आदेश दिया है। प्रश्नगत भूमि सहित 10 बीघाभूमि जरिये बैयनामा निर्मलसिंह से खरीदशुदा है। इसलिए रास्ता निरस्त होने पर यह भूमि अपीलाण्ट के खाते में खतोदारी दर्ज करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को देना

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

चाहिए था। अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2010 आरआरडी पेज 794 प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि को अपीलण्ट की खतोदारी घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ता सबंधित भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है क्यों कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस प्रकार की भूमियों पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है। इस लिए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से चक 26 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ प. नं. 63/228 के किला नं. 21 ता 25 व प. नं. 64/228 किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करते हुए रास्ता में आई भूमि को आराजी राज घोंषित करने का आदेश दिया है जबकि अपीलाण्ट ने रास्ता की भूमि को उसकी खतोदारी घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही है। कानूनन गैर मुमकिन भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। इस संबंध में आरआरटी 2017 पेज 1070 डीबी में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि आवंटित नहीं की जा सकती, जिसमें 1991 आरआरडी पेज 451 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मतानुसार अभिलिखित गैर मुमकिन रास्ते की कृषि भूमि की तरह नहीं माना जा सकता और इस पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती का उल्लेख है। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.1999 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official